# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 574 / 2022

अनवान :. —

1. मंगतुराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।

— वादी

**बनाम्**

1. रामप्रताप पुत्र पतराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
2. महेन्द्र सिंह पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
3. शारदा पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
4. कमलेश पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
5. विक्रमसिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
6. राजेश पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

— प्रतिवादीगण

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955**

उपस्थिति :— श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
मनीराम सरावग अधिवक्ता प्रतिवादी

**निर्णय** दिनांकः 10/2/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 15 जेएसएन—ए तहसील नोहर के खाता स0 92/92 के प0न0 348/404(22) के किला न0 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24, 25/1, 25/2, प0न0 348/405(23) के किला न0 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 की कुल 3.0360 है0 भूमि में से 7/24 हिस्सा व रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2070—2073 के खाता स0 121/110 के प0न0 352/397(37) के किला न0 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7 ता 10, 15/2, 15/3, 16/1, 16/3, 25/3, 25/4, प0न0 353/397(38) के किला न0 1, 10 की कुल 2.7890 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा व खाता स0 120/111 के प0न0 349/404(122) के किला न0 20, 21 की कुल 0.5060है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा व खाता स0 [illegible] के प0न0 352/398(52) के किला न0 6/1, 6/2, 7ता10, 15, 16, 25, प0न0 353/398[illegible] के किला न0 11, 20, 21 प0 न0 353/399 (61) कि किला न0 1/[illegible] 1/2, 10 की कुल 3.2890है0 भूमि [illegible] /2 हिस्सा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:33:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

रोही मौजा 1 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2073—2076 के खाता स0 86 / 86 के प0न0 353 / 408(25) कि किला न0 12, 18, 19, 22, 23 प0न0 353 / 409(34) कि किला न0 2 / 1, 2 / 2, 3 / 1, 3 / 2 की कुल 1.7710 है0 भूमि में 1721 / 3542 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स0 1 रामप्रताप पुत्र पतराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है। वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति—रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 6 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रतिवादी स0 2 जो की प्रतिवादी स0 5 व 6 का पिता है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहता है अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुका है। प्रतिवादीया स0 3 ता 4 जो वादी की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेकर अपना हक व हिस्सा अपने पिता, भाई व भाई के बच्चों के पक्ष में त्याग कर चुकी है। प्रतिवादी स0 2, 3, 3, 4 उक्त भूमि में अपना हक हिस्सा त्याग चुके है इसलिए वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 5 व 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 को काफी मर्तबा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की प्रतिवादी स0 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी स0 1 व प्रतिवादी स0 5 व 6 के हक हिस्सा की भूमि है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकार है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण का कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 7 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई एतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:33:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल[illegible] जवाब प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी [illegible] किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही त[illegible]चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी स0 2, 3, 3, 4 उक्त भूमि में अपना हक हिस्सा त्याग चुके है इसलिए वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 5 व 6 के हक हिस्सा की भूमि है तथा वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादीगण ने रोही मौजा 15 जेएसएन–ए तहसील नोहर के खाता स0 925/92 की 3.0360 है0 भूमि में से 7/24 हिस्सा, रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 121/110 की कुल 2.8790है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा, खाता स0 160/150 की 3.2890है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा 1 आरएमएस तहसील नोहर के खाता स0 86/86 की 1.7710है0 भूमि में से 1721/3542 हिस्सा प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिंकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 रामप्रताप के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 ने वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र **O6R17 CPC** पेश दावा में दर्ज भूमि प्रतिवादी स0 4 व 5 के स्थान प्रतिवादी स0 5 व 6 के नाम दर्ज करने हेतु पेश किया गया जिस पर अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा **No Objection** के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है।

## क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 15 जेएसएन–ए तहसील नोहर के खाता स0 92/92 के प0न0 348/404(22) के किला न0 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24, 25/1, 25/2, प0न0 348/405(23) के किला न0 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 की कुल 3.0360 है0 भूमि में से 7/24 हिस्सा व रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 के खाता स0 121/110 के प0न0 352/397(37) के किला न0 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, [illegible] 4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7 ता 10, [illegible] 25/3, 25/4, प0न0 353/397(38) के किला न0 1, 1[illegible] भूमि में से 1/3 हिस्सा व खाता स0

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:33:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

160/150 के प0न0 352/398(52) के किला न0 6/1, 6/2, 7ता10, 15, 16, 25, प0न0 353/398(51) के किला न0 11, 20, 21 प0 न0 353/399 (61) कि किला न0 1/1, 1/2, 10 की कुल 3.2890है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा 1 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 के खाता स0 86/86 के प0न0 353/408(25) कि किला न0 12, 18, 19, 22, 23 प0न0 353/409(34) कि किला न0 2/1, 2/2, 3/1, 3/2 की कुल 1.7710 है0 भूमि में 1721/3542 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को 1/2 हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादी स0 5 व 6 को शेष 1/2 हिस्सा भूमि में बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा खाता स0 120/111 के प0न0 349/404(122) के किला न0 20, 21 की कुल 0.5060है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रखी जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/12/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:33:11 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर जिला हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 574/2022

अनवान : –

1. मंगतुराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रामप्रताप पुत्र पतराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
2. महेन्द्र सिंह पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
3. शारदा पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
4. कमलेश पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
5. विक्रमसिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
6. राजेश पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा व वकील प्रतिवादी श्री मनीराम सरावग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 15 जेएसएन–ए तहसील नोहर के खाता स0 92/92 के प0न0 348/404(22) के किला न0 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24, 25/1, 25/2, प0न0 348/405(23) के किला न0 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 की कुल 3.0360 है0 भूमि में से 7/24 हिस्सा व रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 के खाता स0 121/110 के प0न0 352/397(37) के किला न0 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7 ता 10, 15/2, 15/3, 16/1, 16/3, 25/3, 25/4, प0न0 353/397(38) के किला न0 1, 10 की कुल 2.7890 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा व खाता स0 160/150 के प0न0 352/398(52) के किला न0 6/1, 6/2, 7ता10, 15, 16, 25, प0न0 353/398(51) के किला न0 11, 20, 21 प0 न0 353/399 (61) कि किला न0 1/1, 1/2, 10 की कुल 3.2890है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा 1 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 के खाता स0 86/86 के प0न0 353/408(25) कि किला न0 12, 18, 19, 22, 23 प0न0 353/409(34) कि किला न0 2, [illegible] 2/2, 3/1, 3/2 की कुल 1.7710 है0 भूमि में 1721/3542 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को 1/2 हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादी स0 5 व 6 को शेष 1/2 हिस्सा भूमि में बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:33:11 IST
Reason: SelfAttested

तथा खाता स0 120/111 के प0न0 349/404(122) के किला न0 20, 21 की कुल 0.5060है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रखी जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन. शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/2/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:33:11 IST
Reason: SelfAttested